फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

गोविन्दराम व अन्य बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **251 RTA**

प्रकरण संख्या 08/**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
29.02.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 35 व 118 में कृषि भूमि स्थित है उपरोक्त भूमि के प0न0 370/418 मु0न0 17 के किला न0 3, 8, 13, 18, 23 के पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण एक एक बिस्वा रास्ता मौके पर चालु है और कई वर्षो से आवागमन मे काम आ रहा है इसको हम प्रार्थीगण सहमति से राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाना चाहते है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नही है तथा किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प0न0 370/418 मु0न0 17 के कि0न0 3, 8, 13, 18, 23 के पश्चिमी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण गोविन्द, धर्मपाल, राकेश, सरजीत व राजवीर, सत्यनारायण, सुभाष ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षकर कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुतोष मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही पक्षकारान की पहचान श्री अजीत पटवारी द्वारा की गई। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारान की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के प0न 370/418 के मु0न0 17 के किला न0 3, 8, 13, 18, 23 के पश्चिमी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pankaj Garhwal Date: 2024.04.02 17:36:28 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	